विचार बिन्दु

अन्याय को मिटाओ लेकिन अपने आप को मिटाकर नहीं। –प्रेमचंद

''आधार'' निराधार क्यों?

भारत सरकार के मंत्रियों के एक समूह द्वारा बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (MPIC) सभी नागरिकों के लिए बनाने की बात 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों के पास एक ऐसा पहचान पत्र हो जिसके माध्यम से नागरिकों से संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जायें और विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार के पहचान पत्र रखने की आवश्यकता न हो। वैसे तो तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस प्रकार के MPIC की सोच देश के समक्ष रखी थी। 22 वर्ष पश्चात भी यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है कि विशिष्ट नंबर प्रत्येक व्यक्ति के पास हो जो प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं के लिए मान्य हो।

स्थिति यह बन गई है कि प्रत्येक अभिकरण या विभाग अपने-अपने कार्य के लिए अलग-अलग प्रकार के कार्ड जारी करते हैं और विभिन्न विभागों के लिए उनके द्वारा कार्ड ही मान्य होते हैं। उदाहरण के लिए वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड, राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए चिरंजीवी कार्ड, राजकीय कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस कार्ड, राजस्थान में प्रत्येक कार्य हेतु जन आधार कार्ड। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड, वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, निवास के पते के लिए बिजली या टेलीफोन का बिल आदि-आदि। एक ऐसे देश के नागरिक के लिए जहां अधिकांश नागरिक डिजिटल व्यवस्था से भली-भांति परिचित नहीं हैं, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग-अलग कार्ड सम्भाल कर रखे। कई स्थानों पर तो पासवर्ड भी याद रखना होता है। अधिकांश मध्यमवर्गीय नागरिकों को अपने साथ में 5 से 7 कार्ड लेकर चलना पड़ता है। यदि कार्ड खो जाए तो नया बनवाना सरल नहीं है।

प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने का काम यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) को सौंपा गया। इस अथॉरिटी का पहला अध्यक्ष, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को बनाया गया। इसके द्वारा बनाए जाने वाले विशिष्ट पहचान-पत्र का नाम 'आधार' रखा गया। ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि आधार कार्ड देश के नागरिकों के सभी कार्यों के लिए एक कार्ड का काम करेगा। किंतु यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आधार कार्ड की जो विश्वसनीयता बननी चाहिए थी, वह अभी तक भी नहीं बन पाई है। यह सही है कि प्रत्येक प्रकार के कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, किंतु इसके साथ ही अन्य कार्ड की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए था। ऐसा संभव नहीं हो पाया है। होना तो यह चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक को दिए गए आधार कार्ड के माध्यम से ही संबंधित नागरिक की सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जानी चाहिए थीं।

आज अधिकांश नागरिकों का, विशेष कर बेरोजगार युवाओं का बहुत समय विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र बनवाने में ही निकल जाता है। एक विभाग/अभिकरण, अन्य विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करता। विश्व के किसी भी विकसित देश जैसे अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि में आधार कार्ड के समतुल्य विशिष्ट पहचान पत्र होता है जिसके माध्यम से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

यदि आधार कार्ड से सारे अन्य दस्तावेज लिंक हो जाएं, जो कि आज के तकनीकी विकास के युग में संभव है, तो कई प्रकार की परेशानियां कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा को कहीं नौकरी के लिए आवेदन करना है तो उसे न तो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता है, न जाति प्रमाण पत्र, न निवास प्रमाण पत्र लगानी की आवश्यकता होनी चाहिए अपितु 'आधार युक्त' आधार से उसकी सारी सूचनाएं नियोक्ता को प्राप्त हो सकती हैं। एक विशिष्ट नंबर वाले पहचान पत्र से उसका विवाह प्रमाण पत्र, उसके द्वारा किस बैंक से कब किस प्रकार का लोन लिया गया है एवं वह कर्जा चुकाने में कभी डिफॉल्टर तो नहीं हुआ, इत्यादि, सभी प्रकार की जानकारी केवल इस कार्ड से लिंक करने पर ही सारी समस्या दूर हो सकती है।

यदि आधार कार्ड से सारे अन्य दस्तावेज लिंक हो जाएं, जो कि आज के तकनीकी विकास के युग में संभव है, तो कई प्रकार की परेशानियां कम हो सकती हैं। नागरिकता का प्रमाण यदि 'आधार' को नहीं माना जाएगा तो फिर यह आधार तो वास्तव में 'आधारहीन' बन कर रह जाएगा।

हमने आधार तो बनाया लेकिन इससे मजबूत आधार नहीं प्रदान दिया। 'आधार' के लिए प्रारंभ में कोई कानूनी आधार भी नहीं था। इसी कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा एवं अन्य न्यायालयों द्वारा आधार को अनिवार्य करने पर रोक लगाई गई। बाद में 2016 में भारत सरकार ने कानून बनाया और इसे कानूनी मान्यता प्रदान की। अब यह केवल उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य है जो सरकार से किसी प्रकार की सुविधा या योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। आज भी आधार - कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए यह अन्य पहचान पत्रों की तरह एक और पहचान पत्र बनकर रह गया है। कल्पना कीजिए, यदि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ दिया जाता है तो फिर किसी भी व्यक्ति को सूची में नाम जुड़वाने की आवश्यकता नहीं रहती एवं स्वत: मतदाता सूची अपडेट होती रहती। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा, उसका नाम मतदाता लिंक में अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसका नाम मतदाता सूची से आधार के आधार पर ही कट जाएगा क्योंकि प्रत्येक मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सजा मिली है, विदेश जाने पर प्रतिबंध है, तो उसकी सूचना भी आधार कार्ड के माध्यम से क्लिक करते ही उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बनते ही उसका अपडेशन आधार के माध्यम से हो जाएगा और यदि उसके विरुद्ध चालान हुआ है तो भी तत्काल आधार के माध्यम से पता चल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यदि काम के लिए बैंक से लोन चाहिए तो वह केवल अपना आधार नंबर बैंक को देगा और बैंक के पास उस व्यक्ति का लोन सबंधी पूरा इतिहास प्राप्त हो जाएगा। फिर बैंक को कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसकी लोन चुकाने की क्षमता एवं पुराना रिकॉर्ड क्या है?

लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए लंबा-चौड़ा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी एवं जब भी वह फॉर्म भरेगा वहां केवल आधार नंबर लिखने से उससे संबंधित सारी सूचना लोक सेवा आयोग, अपने स्तर पर ही सिस्टम के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई नई योग्यता अर्जित की है तो उसका भी सिस्टम के माध्यम से अपडेशन हो जाएगा। यह आवश्यक है कि आधार को नागरिकता का दस्तावेज माना जाए। वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसी कारण नागरिकता के लिए कानून (CAA) बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और जिस का घोर विरोध देश की राजधानी में कई महीनों तक देखा गया। नागरिकता का प्रमाण यदि 'आधार' को नहीं माना जाएगा तो फिर यह आधार तो वास्तव में 'आधारहीन' बन कर रह जाएगा। यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा जब प्रत्येक नागरिक को उसके अंगूठे के निशान और आंखों की आइरिस के आधार पर विशिष्ट पहचान नंबर दिया गया है तो फिर उसको सभी संस्थानों, विभागों द्वारा क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? इसकी विश्वसनीयता और इसके सुरक्षा सिस्टम को भी और सुदृढ़ करना होगा, ताकि कोई आधार का दुरुपयोग न कर सके। आधार कार्ड का नंबर व्यक्तियों को कई स्थानों पर उपलब्ध कराना होता है। ऐसा देखा गया है कि प्रारंभिक समय में कई व्यक्तियों ने एक से अधिक आधार कार्ड बनवा लिए अथवा किसी अन्य के आधार कार्ड का दुरुपयोग करने की संभावना भी बनी। इन सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

जब भारत के कंप्यूटर विशेषज्ञ दुनिया में अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं तो उनसे अपेक्षा है कि वे भारत के लिए शत प्रतिशत साइबर सुरक्षा व्यवस्था बनाने में भारत सरकार की सहायता करें। अब तक हजारों करोड रुपए विभिन्न प्रकार के पहचान पत्रों पर सरकार लगातार खर्च करती रही है किन्तु 'आधार' को मजबूत आधार ही प्रदान नहीं कर पाई है। नागरिकों के डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस विषय को सरकार उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करे। यदि इसे पूर्णतया सुरक्षित करने में सरकार सफल रही तो फिर किसी भी स्तर के न्यायालय को, इसके अनिवार्य बनाने में कोई दखल देने की संभावना नहीं रहेगी। करना केवल इतना भर है कि नागरिक की निजता का हनन करने में कोई सफल न हो।

सिंगापुर में रहने वाले कुछ परिचितों से बात की तो पता चला कि उन्हें अपने पास केवल एक ही कार्ड रखने की आवश्यकता होती है और शेष सारी सूचनाएं संबंधित एजेंसी को तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो किसी को अपना विशिष्ट कार्ड रखने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और केवल नंबर बताने से उसकी सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जानी चाहियें। जहां तक नागरिक की पहचान का प्रश्न है, उस का अंगूठे का निशान अथवा आंखों की आइरिस की छवि लेकर सत्यापित किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के बाद और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के 14 वर्ष पूरे होने पर यह अपेक्षा हम कर ही सकते हैं कि अब भविष्य में 'आधार' निराधार ना रहे और हर प्रकार से आधार युक्त हो।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

तीर्थंकर महावीर की वाणी लिपिबद्ध कर जन-जन तक पंहुचाने का महान दिन

भागचंद जैन मित्रपुरा

आज से 1866 वर्ष पूर्व यानी जेष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन भगवान महावीर के उपदेशों को षट्खण्डागम ग्रंथ के रूप में श्रवण के आधार पर लिपिबद्ध कर के भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया था। अत: इस दिन को श्रुत पंचमी के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिपि बद्ध है अत: इस दिन को प्राकृत भाषा दिवस के रूप में भी मनाते है। यह दिवस जैन धर्मावलंबियों के लिए जन-जन तक धर्म ज्ञान पंहुचाने का एक प्रयोजनीय दिन है।

तीर्थंकरों के द्वारा केवलज्ञान प्राप्ति उपरांत उनकी दिव्य ध्वनि प्रतिदिन पूर्वान्ह, मध्यान्ह, अपरान्ह एवं अर्धरात्रि में चार बार छह-छह घड़ी पर्यंत खिरती रहती है। यह दिव्य ध्वनि सात सौ लघुभाषा और अठारह महाभाषा में खिरती है। समवशरण में उपस्थित सभी गति के जीव अपनी अपनी भाषा में इसे समझ लेते है।

भगवान महावीर की वाणी श्रुत रूप में रही, जो अंतिम केवली जम्बू स्वामी तक निरंतर प्रवाहमान होती रही। वर्षों तक उनके उपदेश आचार्यों, मुनियों एवं योग्यजनों द्वारा याददाश्त के आधार पर जनमानस में प्रचलित रहे। भद्रभाहू अंतिम श्रुतकेवली थे, इनके पश्चात क्षयोपशम ज्ञान की मन्दता बढ़ने लगी एवं इस तरह अंगों एवं पूर्व ज्ञान का ह्रास होने लगा।

भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष व्यतीत होने पर अंगों और पूर्व के शेष ज्ञान के भी लुप्त होने एवम कालांतर में शास्त्रों के घटते ज्ञान से चिंतित होकर कि महावीर की श्रुत परंपरा, बुद्धि के निरंतर ह्रास के कारण केवल सुनकर सीखने के आधार पर नहीं चल सकती, यह जानकर, अपनी शेष अत्यल्प आयु में, अवशेष ज्ञान को लिपिबद्ध कराने हेतु आचार्य धरसेन ने महिमा नगरी में हो रहे मुनि सम्मेलन से दो योग्य मुनियों आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबलि को योग्य जानकर अपने आश्रय स्थल, गिरनार पर्वत, गुजरात में स्थित चंद्र गुफा में अपनी स्मृति में सुरक्षित संपूर्ण ज्ञान को लिपिबद्ध कराया। परिणामत: 'षट्खण्डागम' नामक ग्रंथ की रचना हुई। षट्खण्डागम दिगम्बर साधु आचार्य धरसेन के द्वारा दिए गए आगम के मौखिक उपदेशों पर आधारित है।

ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्विद संघ की उपस्थिति में इस महान ग्रंथ की पूजा-अर्चना करके भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया गया। तभी से आज का दिन श्रुत पंचमी के नाम से विख्यात हुआ।

षट्खण्डागम (छ: भागों वाला धर्मग्रंथ) दिगम्बर जैन संप्रदाय का सर्वोच्च और सबसे प्राचीन पवित्र धर्मग्रंथ है।

षट्खण्डागम (छक्खंडागम) सूत्र - इस आगम ग्रन्थ में छह खण्ड हैं - 1.जीवट्ठाण (जीवस्थान) 2.खुद्दाबंध (क्षुद्रकबन्ध) 3. बंधसामित्तिवचय (बन्धस्वामित्व) 4.वंदना (वेदना) 5.वग्गणा (वर्गणा) 6. महाबन्ध।

प्रथम तीन भाग कर्म दर्शन की व्याख्या आत्मा के दृष्टिकोण से करते हैं, जो कि बंधन का कारक है एवं अंतिम तीन भाग कर्म की प्रकृति और सीमाओं की चर्चा करते हैं।

पंचपरमेष्ठी आराधक णमोकार महामंत्र जिसे विश्वशांति मंत्र के नाम से जाना जाता है इसी षट्खंडागम ग्रन्थ का मंगलाचरण है।

षट् खंडागम ग्रन्थ पर आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र जैसे आचार्यों ने टीकाएं, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है, लिखकर धर्मज्ञान उपलब्ध कराया था। वर्तमान में आठवीं सदी के आचार्य वीरसेन स्वामी की धवला नामक टीका उपलब्ध है।

हम पूजा पाठ को धर्म की मात्र क्रिया समझ कर पंच परमेष्ठि का गुण गान करते है। जिनवाणी हमे ज्ञान देती है कि ज्ञान पूर्वक क्रिया ही फल प्रदायनी होती है। अत: पूजा-पाठ में समाहित अध्यात्म रुपी तत्व प्राप्त करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी मानेंगे, तभी हम सच्चे

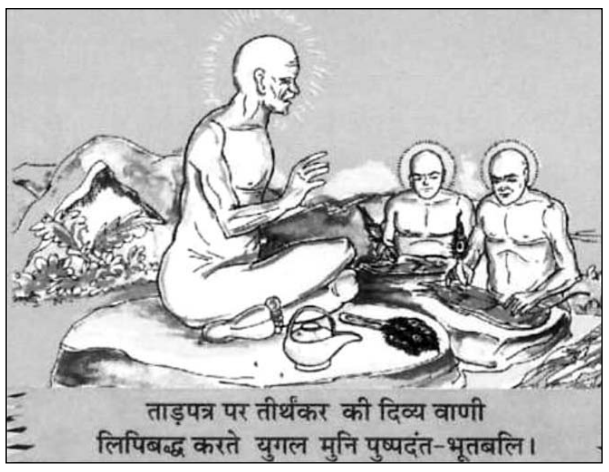

ताड़पत्र पर तीर्थंकर की दिव्य वाणी लिपिबद्ध करते युगल मुनि पुष्पदंत-भूतबलि।

अर्थों में जिनवाणी की सेवा कर सकते है।

आज मन्दिरों की अलमारियों में बंद आगम शास्त्र - जिनवाणी को बाहर निकालकर स्वाध्याय, शास्त्र चर्चा, वार्तिक, वचनिका से आत्म-परोपकार की भावना जागृत कर सकते हैं।

जैन धर्म में देव, शास्त्र एवं गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। जैन धर्मावलंबी सैद्धांतिक देशना से लिपिबद्ध जिनवाणी की पूजा, आराधना करके शास्त्र भंडारों का उचित रखरखाव, देखभाल, सुरक्षा- पूर्व में भी हमारे कई धर्म ग्रंथो को विधर्मियो द्वारा अपने कब्जे में लिए गए है, आत्म कल्याण के उद्देश्य से स्वाध्याय करने का नियम लेकर शास्त्रों का धर्मरक्षार्थ सदुपयोग किया जा सकता है।

समग्र समाज आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली के त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ का चिर ऋणी है।

भावी पीढ़ी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान महावीर की वाणी को स्वाध्याय चिंतन, मनन द्वारा श्रुत व लिपि के रुप में सुरक्षित, संरक्षित करने का संकल्प करे।

धर्मशास्त्र ही हमारी जीवन नैया का खिवैया है।

महावीर की वाणी को जन-जन तक पहुंचाकर अपने नाम के साथ विरासत में मिले जैन उपनाम को सार्थक बना सकते है।

संकलन आधार- श्रुत स्कंध महामंडल विधान।
संकलन :-भागचंद जैन मित्रपुरा, अध्यक्ष जैन बैंकर्स फोरम, जयपुर।

प्रतिदिन तीन करोड़ रुपये की तंबाकू का सेवन करते हैं जोधपुरवासी

जोधपुर, (कासं)। युवाओं को नशे से दूर रखना तथा निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के क्रम में 25 से 31 मई तक विश्व तम्बाकू निषेध दिवस सप्ताह के आयोजन की निरन्तरता में तम्बाकू मुक्त जोधपुर बनाने हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन सोमवार को शहर के एक निजी होटल में एसआरकेपीएस द्वारा किया गया।

मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के संयोजक राजन चौधरी ने कोटपा-2003 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा विद्यालयों में तम्बाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर युवा पीढी को तम्बाकू मुक्त रखा जा सकता है। राजन चौधरी ने बताया कि जोधपुर के 16 लाख लोगों में से 15 वर्ष से अधिक की आयु वाले 6 लाख लोग प्रतिदिन पान

■ तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत मीडिया कार्यशाला आयोजित

मसाला, गुटखा व अन्य तंबाकू जनित उत्पादों का उपभोग कर 3 करोड रुपये प्रतिदिन खर्च करते है। वही प्रतिमाह 90 करोड व प्रतिवर्ष 1100 करोड रुपये का उपभोग करते है। यदि 10 से 15 वर्ष वाले युवाओं को भी जोड दिया जाए तो यह खर्च करीब दोगुना हो जाता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए कोटपा-2003 के तहत कार्यवाही व जागरूकता के कार्य किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि हमारी युवा पीढी को तम्बाकू से दूर रखना हमारी प्राथमिकता है, इस के लिए सामूहिक प्रयास करने की महती आवश्यकता है। राजन चौधरी ने बताया कि विश्व में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग से प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वही भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मौत होती है। जबकि राजस्थान में प्रतिवर्ष करीब 80 हजार लोग मौत के शिकार हो जाते है। राजस्थान में प्रतिदिन 220 लोग तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के कारण मौत के आगोश में चले जाते है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को तम्बाकू मुक्त राजस्थान बनाने हेतु सभी जिलों में कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ भी एडवोकेसी की जा रही है कि तम्बाकू उत्पादों को बंद करें या फिर शराब की तरह निर्धारित दुकानों के लाइसेंस देकर बेचे जाएं ताकि युवा पीढी को तम्बाकू उत्पादों से दुर रखा जा सके। चौधरी ने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड का राजस्व प्राप्त हो सकता है परन्तु वर्तमान में गत कई वर्षो से 350-400 करोड का ही राजस्व प्राप्त हो रहा है। चौधरी ने एक अध्ययन के आधार पर बताया कि राज्य मे 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगो द्वारा करीब 22 हजार करोड रूपये का पान मसाला, गुटका व तम्बाकू उत्पादों का उपभोग किया जाता है। प्रतिदिन राज्य में करीब 61 करोड रूपये के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग किया जाता है।

एसआरकेपीएस कार्यक्रम अधिकारी विकास कुमार ने कार्यशाला में कोटपा-2003 के बारे में विस्तारपूर्वक पीपीटी देते हुए तंबाकू के दूष्प्रभावों के बारे में मीडिया को अवगत करवाया गया। उन्होनें बताया कि संस्था द्वारा तंबाकू नियंत्रण को लेकर लंबे समय से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एम्स जोधपुर द्वारा किये गये अनुसंधान व अध्ययन के अनुसार 7000 टन कचरा तम्बाकू उत्पादो से होता है। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू उत्पादों से होने वाले कचरे से 30 लाख प्लास्टिक की बाल्टियां बनाई जा सकती है, 60 हजार पेड बचाए जा सकते है, 32 लाख नोटबुक बनाई जा सकती है तथा एक बोईग विमान 747 का निर्माण करवाया जा सकता है और 3.50 लाख टी शर्ट बनाये जा सकते है। इस कचरे को सम्मिलित प्रयासों से कम किया जा सकता है ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। कार्यशाला के अंत में विकास कुमार ने सभी का आभार प्रकट किया।

अधिकारी व आमजन के लिए वी.सी. बनी मुसीबत!

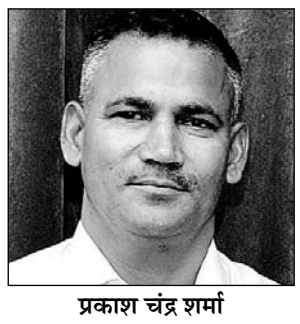

प्रकाश चंद्र शर्मा

वीसी यानि वीडियो कांफ्रेंस की तकनीक प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान शासन और प्रशासन के बीच संवाद के लिए आरम्भ की गई वीडियो कांफ्रेंसिंग तत्समय यदा कदा आयोजित होने के कारण कोरोना से भयभीत हरेक अफसर को खूब भाती थी लेकिन अब यह व्यवस्था उबाऊ और बोझ सी महसूस होने लगी है। सबसे गम्भीर बात तो यह है कि घंटों तक चलने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग न सिर्फ़ अफसरों को तंग कर रही है बल्कि इससे सरकारी दफ्तरों में काम के लिए पंहुचने वाले आम लोगों में भी रोष पैदा होने लगा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग को लेकर न सिर्फ़ शीर्ष पर बैठे आला अफसरों में बल्कि जिला और उपखण्ड स्तर पर बैठे सभी अफसरों के अन्तर्मन में एक अव्यक्त पीड़ा स्पष्ट दिखाई देती है। यह बात अलग है कि सरकारी नियमों में बंधे इन अधिकारियों में से कोई भी व्यक्ति अपनी तकलीफों का खुलकर इजहार नहीं कर पाता है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर पीड़ित अधिकारी बताते हैं कि जिस दिन वीडियो कांफ्रेंस होती है, उस दिन सभी महकमों के अधिकारी एक प्रकार से बंध जाते हैं। पूरे दिन कांफ्रेंस हॉल में बैठे रहने की मजबूरी के चलते वे लोग आवश्यक कामों को भी नहीं निपटा पाते हैं। अधिकारियों की इस विवशता को आम लोग नहीं समझ पाते हैं और इसे लेकर कई मर्तबा जनता का गुस्सा अफसरों पर फूट पड़ता है।

आम जनता समझती है कि कामचोरी की आदत के चलते अधिकांश अफसर वीसी के बहाने मौजमस्ती करते रहते हैं जबकि सच्चाई यह है कि वीसी की इस बाध्यता से राज्य के अधिकांश बुरी तरह दुखी हैं। उनका कहना है कि संवाद का अनुमानित समय निर्धारित नहीं होने के कारण वीसी के दौरान कई घंटों तक सभी अधिकारियों को कांफ्रेंसिंग हॉल में बैठे रहना पड़ता है।

अफसरों का कहना है कि यदि वीसी में संवाद के लिए अधिकारियों का समय पहले ही निर्धारित कर दिया जाए तो शेष समय में हरेक अधिकारी दफ्तर के आवश्यक कामों को निपटा सकता है। संवाद की वीडियो कांफ्रेंसिंग तकनीक अफसरों के स्वाभिमान को भी जबरदस्त तरीक़े से आहत कर रही है। दिलों में दर्द पाले बैठे अधिकारी बताते हैं कि वीसी के दौरान कई बार शीर्ष अधिकारी अथवा शासन में बैठे नेता जिले और उपखण्ड स्तर पर बैठे अधिकारियों से रौब झाड़ने के अंदाज में बात करते हैं। इससे समकक्ष और अधीनस्थ अधिकारियों के सामने डांट खाए अधिकारी को काफी लज्जित होना पड़ता है।

–प्रकाश चंद्र शर्मा,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

परशुराम सेना कार्यकर्ताओं को फरसा दीक्षा दी गई

निवाई, (निसं)। परशुराम सेना राजस्थान उत्तर प्रदेश का हर घर भगवा हर घर फरसा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान परशुराम सेना के प्रदेशाध्यक्ष मीत गौतम ने की। मंच संचालन प्रदेश संगठन मंत्री महावीरप्रसाद गौतम ने किया।

इसमें समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान जयपुर में शिकारपुरा रोड वाटिका मार्ग को परशुराम मार्ग घोषित करने की सरकार से मांग की गई साथ ही मंदिर की जमीनों को भू माफियाओं से आजाद कराने की सरकार से मांग की। परशुराम सेना का अभियान हर घर भगवा हर घर फरसा अभियान के तहत समाज बंधुओं को परसा दीक्षा देकर परसा धारण करवाया गया।

परशुराम सेना का 'हर घर भगवा हर घर फरसा' कार्यक्रम में फरसा वितरित करते पदाधिकारी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 23 मई, 2023

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, आर्दा नक्षत्र 12:38 तक, शूल योग सांय 4:46 तक, वणिज करण दिन 12:04 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मेष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से दिन 12:38 तक है। रवियोग दिन 12:38 तक है। कुमार योग रात 12:58 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन 12:09 से रात्रि 12:58 तक है। अगांरक विनायक चतुर्थी उमा चतुर्थी है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:02 से 10:43 तक, लाभ-अमृत 10:43 से 2:04 तक, शुभ 3:45 से 5:26 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:07

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी व्यावसायिक कार्यों का विस्तार होगा।

मिथुन
मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का मानसिक तनाव बना रहेगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शुभ मांगलिक कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

धनु
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

मकर
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

मीन
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।